

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)(17)नियम/डीएलबी/17/15910

जयपुर दिनांक 17/5/17

अधिसूचना

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना (दिनांक 10.05.17 से 10.07.17) के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 49 की उपधारा (6) सपठित धारा 337 की उपधारा (1) व (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 171 के अंतर्गत मण्डल को प्रदत्त 1500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के उप विभाजन अथवा पुर्नगठन की शक्तियों को 3000 वर्गमीटर तक की सीमा तक बढ़ाया जाकर उक्त शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.8(ग)(17)नियम/डीएलबी/17/15911-16386
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर, दिनांक: 17/5/17

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. विशिष्ट/संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर।
06. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर, विकास प्राधिकरण।
07. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
08. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
11. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास समस्त राजस्थान।
13. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
15. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
16. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
17. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
18. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
19. सुरक्षित पत्रावली

अशोक कुमार सिंह
वरिष्ठ संयुक्त निधि परामर्शी
स्वायत्त शासन विभाग